

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला विकास शाखा)

आदेश

माननीय पूर्व विधायक श्री शकुनी चौधरी, के विधायक मद की राशि वित्तीय वर्ष 09-10 में अनुशंसित एवं इस कार्यालय-के आदेश ज्ञापांक 74 दिनांक 03.04.2010 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 50% राशि कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई गयी थी। शेष निम्न तालिका में उल्लिखित योजनाओं के अवशेष 40% (चालीस प्रतिशत) राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि योजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के पश्चात् जिला स्तर से नामित पदाधिकारी के द्वारा योजना का स्थल निरीक्षण के बाद शेष 10% राशि विमुक्त की जायेगी। साथ ही अन्तिम भुगतान के पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी निश्चित रूप से योजना का निरीक्षण करेंगे और संतुष्ट होने के पश्चात् ही भुगतान करेंगे।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि निम्नतालिका के स्तम्भ 6(छः) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ-3 (तीन) में अंकित पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

क्र०	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्ति की राशि (50%)	विमुक्ति की राशि। (40%)
1	2	3	4	5	6
01	जगतपुरा दुर्गा स्थान के समीप पी०सी०सी० कार्य।	प्र० वि० पदा०, टेटिया बम्बर	92000	46000	36800
02	तिलकारी मुशहरी के समीप मुख्य पथ मे पी०सी०सी० कार्य।	तथैव	56000	28000	22400
03	ग्राम नोनाजी में भीम सिंह घर से विरेन्द्र सिंह घर की ओर पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	तथैव	60000	30000	24000
		कुल	208000	104000	83200

द्रष्टव्य :-

1. कुल प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :- 208000. (दो लाख आठ हजार रू०)
2. पूर्व में विमुक्त राशि :- 104000 (एक लाख चार हजार रू०)
3. विमुक्ति की राशि :- 83200 (तेरासी हजार दो सौ रू०)

ह०/-
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

प्रतिलिपि :-
प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक:- 379 जि०वि०, मुंगेर / दिनांक :- 09-10-2013
कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टेटिया बम्बर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।